

कार्यालय – सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, हनुमानगढ़

क्रमांक- 738

दिनांक- 9-2-2021

संशोधन

कार्यालय द्वारा आमंत्रित ई-बिड संख्या-02/2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सखी केन्द्र के लिए मानव संसाधन की सप्लाई हेतु (UBN NO. WMP2021SLOB00128) के बिड फॉर्म की शर्तों में निम्नांकित प्रकार संशोधन किया जाता है-
“ राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18 दिसम्बर 2020 के द्वारा आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 42 (2) में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्योरिटी की जगह बिड घोषणा पत्र लेने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान इस ई-बिड पर लागू होगा, जहाँ कहीं ई-बिड फॉर्म में बिड सिक्योरिटी राशि का उल्लेख है , वहाँ बिड घोषणा पत्र पढ़ा जाये “ । बिड घोषणा का प्रपत्र वित्त विभाग के परिपत्र आदेश क्रमांक- एफ.2(1)वित्त/जीएंडटी-एसपीएफसी/2017, दिनांक 23.12.2020 द्वारा निर्धारित है। इस घोषणा पत्र पर 50 रुपये स्टॉम्प ड्यूटी देय है एवं इस स्टॉम्प ड्यूटी पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है।




सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
हनुमानगढ़

दिनांक :- 9-2-20

क्रमांक :- 739-42

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
3. प्रोग्रामर, निदेशालय, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।



सहायक निदेशक